(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी राकेश 3140-एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 27-08-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 750/अपील/2011-12.

राकेश कुमार अवधिया तनय कृष्ण कुमार अवधिया
निवासी- ग्राम कोटहा, तहसील गोपदवनास, जिला- सीधी (म.प्र.)

.....आवेदक

बनाम

1. श्रीमती मानवती सोनी पुत्री स्व. श्री रामकिशोर सोनी
2. श्रीमती देवी सोनी पुत्री स्व. श्री रामकिशोर सोनी
3. रामरूप गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता
   निवासी- ग्राम कोटहा, तहसील गोपदवनास, जिला-सीधी (म.प्र.)
4. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता, आवेदक
श्री, पी.के. तिवारी अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. द्वारा पारित दिनांक 27-08-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि अनावेदक क्रं0 1 व 2 ने ग्राम कोटहा स्थित आराजी खसरा क्रमांक 82 मिन रकवा 0.12 हे. पर अपना वारिसाना नामांतरण हेतु एक ओवदन तहसीलदार तहसील गोपदवनास जिला सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया । तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 106/अ-6/(अ)/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 5-6-2011 को इच्छापत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया। इस

आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी गोपदवनास सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-3-2012 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27-8-2012 को अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण मूल भूमिस्वामी रामलौटन थे। रामलोटन लावल्द फौत हुये उनकी मृत्यु के पश्चात रामलौटन के इच्छापत्र के आधार पर अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम नामांतरण हुआ है। प्रकरण में इश्तहार प्रकाशन कराया गया है। आवेदक द्वारा कच्ची विक्रय टीप के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसका निराकरण तहसीलदार द्वारा अपने आदेश से किया गया है। आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत नामांतरण आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर स्थिर रखा है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी ने 1988 के कच्ची विक्रय टीप के आधार पर लगभग 24 वर्ष पश्चात नामांतरण के आदेश देने में त्रुटि की है। आवेदक द्वारा 24 वर्षों तक उक्त कच्ची विक्रय टीप को रजिस्टर्ड कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा उसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही क्यों नहीं की। इन बिन्दुओं पर अनुविभागीय अधिकारी ने बिना विचार किया जो त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया था उसे अपर आयुक्त ने निरस्त करने में विधिसम्मत कार्यवाही की है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 27-8-2012 स्थिर रखा जाता है।

1/11/18

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर